

न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सुरेन्द्र भास्कर

मु.न. 79/2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास
बनाम

बहादुरसिंह, भगवान सिंह पुत्रगण श्रवण जाति जाट निवासी पंजी का बास तहसील मण्डावा जिला
झुंझुनू

— अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक 28.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम पंजी का बास के भूमि ख0न0 526 रकबा 4.01 है. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.03 हैक्टर बहादुरसिंह, भगवान सिंह पुत्रगण श्रवण जाति जाट निवासी पंजी का बास ने बाड़ा व मकान कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी को न्यायहित में समुचित अवसर देने के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया। अतः गैरसायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 जोहड़ पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूंकि उक्त अतिक्रमित भूमि गैर मुमकिन जोहड़ हैं, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी भूमि ख0न0 526 रकबा 4.01 है. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.03 हैक्टर में बाड़ा व मकान करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 30/-रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावे। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि गै.मु. जोहड़ पर बाड़ा व मकान को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा. 4 के पृष्ठ संख्या 91 पर राशि
30 रु वर्ष 25-26 में मांग कायम
की गयी।

तहसील राजस्व लेखाकार

(डॉ. सुरेन्द्र भास्कर)
तहसीलदार मंडावा
जिला झुंझुनू।